न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी।

सत्रवाद संख्या–385/2025

सी0आई0एस0 संख्या– 385/2025

बिहार सरकार द्वारा सूचक भिखारी महतो.....अभियोजन

बनाम्

नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार एवं एक अन्य.....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी।

उपस्थितः राजीव कुमार–III,

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी।

निर्णय की तिथि

24वीं मार्च, 2026.

(सत्रवाद संख्या 385/2025, सी0आई0एस0 संख्या–385/2025)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

सुप्पी थाना कांड संख्या 134/2024, जी0आर0 सं0– 2284/2024

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा भिखारी महतो, पिता–स्व0 भरोषी महतो, साकिन–पकड़ी कोठी, थाना–सुप्पी, जिला –सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री कामेश्वर प्रसाद, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगणः–	1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता–श्री रमेश राय उर्फ महेश राय एवं 2. सुशील कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता–श्री महेश राय उर्फ रमेश राय दोनों साकिन–पकड़ी परसा, वार्ड नं0–4, थाना–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री अमर कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	06.08.2024
प्राथमिकी का दिनांक	07.08.2024
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	31.08.2024
आरोप गठन का दिनांक	08.10.2025
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	31.10.2025

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	19.02.2026
निर्णय का दिनांक	24.03.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तो का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
1.	नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार	08.08.2024	लगातार	u/s 103(1), 3(5), B.N.S.	**दोषमुक्ति**	कोई नही	01 वर्ष, 07 महीना एवं 16 दिन
2.	सुशील कुमार	08.08.2024	लगातार	u/s 103(1), 3(5), B.N.S.	**दोषमुक्ति**	कोई नहीं	01 वर्ष, 07 महीना एवं 16 दिन

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी	लालबाबू राय	अन्य साक्षी

संख्या 1		
अभियोजन साक्षी संख्या 2	राजीव महतो	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	प्रमिला देवी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 4	जय मंगल बैठा	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 5	भिखारी महतो	सूचक
अभियोजन साक्षी संख्या 6	रामजी कुमार	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 7	विष्णुदेव कुमार	पुलिस साक्षी/अनुसंधानकर्त्ता
अभियोजन साक्षी संख्या 8	डॉ0 अमरनाथ यादव	चिकित्सक साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	P-1/PW6	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन प्रति पर रामजी कुमार का

		हस्ताक्षर।
2.	P-2/PW7	पृष्ठांकन।
3.	P-3/PW7	औपचारिक प्राथमिकी पर विष्णुदेव कुमार का हस्ताक्षर।
4.	P-4/PW7	स्वीकारोक्ति बयान।
5.	P-5/PW7	सुशील कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र।
6.	P-6/PW7	नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र।
7.	P-7/PW7	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट।
8.	P-8/PW8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
9.	P-9	आरोप–पत्र संख्या 171/2024

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार एवं 2. सुशील कुमार का विचारण बी0एन0एस0 की धारा– 103(1), 3(5) के अन्तर्गत ग्राम–पकड़ी, थाना–सुप्पी, जिला –सीतामढी में दिनांक 06.08.2024 को सूचक भिखारी महतो के पुत्र को को चाकू मारकर हत्या करने के अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक भिखारी महतो के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक 06.08.2024 को रात्रि लगभग 8:00 बजे मेरा लड़का पप्पू कुमार घर पर

खाना खा रहा था उसी समय में दो लड़का जिसका नाम सुशील कुमार एवं नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार आया और मेरे पुत्र पप्पू कुमार को जबरदस्ती अपने मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया। पीछे से मैं, मेरा भाई राजीव महतो एवं मेरी पत्नी परमिला देवी उधर ही गये जिस तरफ अभियुक्त मेरे पुत्र को लेकर गये थे। हमलोग पहुंचे तो देखा कि सुशील कुमार एवं नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार मेरे पुत्र को चाकू से मार रहा है तथा महेश राय व रमेश राय एवं कुछ अन्य व्यक्ति लात–घुसा से मार रहा था। यह देखकर हमलोग काफी रोने चिल्लाने लगे जिस पर हुत से ग्रामीण जमा हो गये। ग्रामीणों की भीड़ जमा होते देख अभियुक्तगण भाग गये। तब हम अपने पुत्र को ग्रामीणों के सहयोग से ससौला एवं सदर अस्पताल, सीतामढ़ी ले गये। जहां प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर कर दिया। तब हम उसे लेकर नवजीवन नर्सिंग होम में लेकर गये और वहां से पुनः मुजफ्फरपुर रेफर किया। मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में रास्ते में पप्पू की मृत्यु हो गयी। फिर हमलोग सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर सुप्पी थाना कांड संख्या– 134/2024, दिनांक 07.08.2024 अन्तर्गत धारा– 103, 3(5), बी0एन0एस0 प्राथमिकी में नामित चार अभियुक्तों एवं कुछ अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर, उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार एवं 2. सुशील कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 103, 3(5), बी0एन0एस0 में आरोप पत्र समर्पित किया है एवं अभियुक्त महेश राय एवं रमेश राय को अनुत्प्रेषित दिखाया गया है।

5. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीतामढी द्वारा आरोप पत्रित दोनों अभियुक्तगण 1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार एवं 2. सुशील कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 103, 3(5), बी0एन0एस0 में संज्ञान लिया गया है।

6. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीतामढी द्वारा वाद विचारण की धारा– 103, 3(5), बी0एन0एस0 सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होने के कारण अभियुक्तगण के वाद को विद्वान सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया, तत्पश्चात विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्र विचारण संख्या 385/2025 अंकित किया गया तथा वाद विचारण हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरण पर प्राप्त हुआ।

आरोप

7. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार एवं 2. सुशील कुमार के विरूद्ध धारा– 103, 3(5), बी0एन0एस0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

8. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

9. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

10. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 08 साक्षियों क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या 1 लालबाबू राय, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजीव महतो, अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 4 जय मंगल बैठा, अभियोजन साक्षी संख्या 5 भिखारी महतो, अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामजी कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 7 विष्णुदेव कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 8 डॉ0 अमरनाथ यादव का साक्ष्य कराया गया है।

11. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 से पी–9 तक प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

1.	P-1/PW6	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन प्रति पर रामजी कुमार का हस्ताक्षर।
2.	P-2/PW7	पृष्ठांकन।
3.	P-3/PW7	औपचारिक प्राथमिकी पर विष्णुदेव कुमार का हस्ताक्षर।
4.	P-4/PW7	स्वीकारोक्ति बयान।
5.	P-5/PW7	सुशील कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र।
6.	P-6/PW7	नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र।
7.	P-7/PW7	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट।
8.	P-8/PW8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
9.	P-9	आरोप–पत्र संख्या 171/2024

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. बचाव पक्ष का बचाव है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने घटना कारित नहीं किया है।

13. बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में कुल आठ अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 लालबाबू राय, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजीव महतो, अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 4 जय मंगल बैठा है जो पक्ष–द्रोही साक्षी है, इस साक्षी ने अभियुक्तों के बारे में कुछ भी नहीं

कहा है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 भिखारी महतो है जो इस वाद का सूचक है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि हमलोग ईलाज के लिए ले गए ओर दारोगाजी जहां हस्ताक्षर कराये वहां पर काफी भीड़ थी। भीड़ के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उसमें किसी का नाम नहीं बताया गया। दारोगाजी आवेदन में क्या–क्या लिखे थे, पढ़कर नहीं सुनाया गया था। दारोगाजी ने मुझसे दो–तीन कागज पर निशान लिए और बताए कि पोस्टमार्टम के लिए जरूरी है। घटना काहिरत होंते हुए मैं, मेरी पत्नी या परिवाद के अन्य सदस्यों ने नहीं देखा था। कटघरे में उपस्थित अभियुक्तों से मेरे पुत्र या मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहा है। कटघरे में उपस्थित अभियुक्तों ने मेरे परिवार के साथ कभी कोई घटना नहीं किया है। निशान के बाद पुलिस ने कभी मेरा बयान नहीं ली थी। बी0एन0एस0 के अंतर्गत आरोप एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सभी आरोप अभियुक्तों के विरूद्ध साबित नहीं होता है। इस प्रकार, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 1 लालबाबू राय, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजीव महतो, अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 4 जय मंगल बैठा है जो पक्ष–द्रोही साक्षी है, इस साक्षी ने अभियुक्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 5 भिखारी महतो है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना आज से लगभग डेढ़ साल पहले, समय 8 बजे रात की है। उस समय मेरा लड़का पप्पू कुमार घ ार पर खाना खा रहा था। उस समय दो लड़का सुशील कुमार और नीतेश कुमार आया और साथ में ले गया। मोटरसाईकिल से ले गया। उसके बाद हल्ला हुआ तो अपने परिवार के साथ सड़क पर गया तो घायल देखा। वहां पर बहुत आदमी का भीड़ था। मैंने देखा कि सुशील कुमार और नीतेश कुमार चाकू मार रहा है। उसके बाद ईलाज के लिए ससौला ले गया। ससौला से सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया। सीतामढ़ी से रेफर होने के बाद नवजीवन अस्पताल, सीतामढ़ी में ले गया। नवजीवन अस्पताल, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर ले जाने के क्रम में मेरा बेटा की मृत्यु हो गई। लिखित आवेदन पर अंगूठे का निशान करके दिया था। लिखित आवेदन पर मेरे अलावा प्रमिला देवी और राजीव महतो अंगूठे का निशान की थी। अस्पताल में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुआ था जिस पर अंगूठे का निशान किया था। आज न्यायालय के डॉक में अभियुक्त नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार एवं सुशील कुमार उपस्थित है जिसे पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीपक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि जिस समय मेरा पुत्र खाना खा रहा था, उस समय मैं भी खाना खा रहा था। किस दोस्त ने आवाज दिया उसका नाम नहीं कह सकता। किसके साथ मेरा पुत्र गया था उसका नाम नहीं कह सकता। गॉव के लोगों के द्वारा जानकारी मिला कि लड़का घायल अवस्था में गिरा है, तब मैं वहां गया। मेरा लड़का बेहोशी के हालत में था। वहां ग्रामीणों की भीड़ थी। मैं अपने लड़का को ईलाज के लिए ससौला ले गया। ससौला से डॉक्टर रेफर कर दिया। मुजफ्फरपुर ले जाने के क्रम में मेरा लड़का पप्पू कुमार की मृत्यु रास्ते में हो गई। घायल अवस्था में ले जाने के क्रम में मेरा लड़का पप्पू कुमार का होश नहीं आया। वहां पर ग्रामीणों की भीड़ द्वारा घटना कारित करने वालों का नाम नहीं बताया गया। भीड़ वाले ग्रामीण एवं हमारे पूरे परिवार द्वारा भी घटना कारित करने वालों का नाम नहीं बताया। भीड़ द्वारा बताए जाने के कारण दारोगाजी ने आवेदन लिखा। किस भीड़ के व्यक्ति द्वारा कटघरा में खड़े अभियुक्तों का नाम बताया गया, मैं नहीं बता सकता। हमलोग ईलाज के लिए ले गए और दारोगाजी जहां हस्ताक्षर कराये

वहां पर काफी भीड़ थी। भीड़ के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उसमें किसी का नाम नहीं बताया गया। दारोगाजी आवेदन में क्या–क्या लिखे थे, पढ़कर नहीं सुनाया गया था। दारोगाजी ने मुझसे दो–तीन कागज पर निशान लिए और बताए कि पोस्टमार्टम के लिए जरूरी है। घटना कारित होते हुए मैं, मेरी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों ने नहीं देखा था। जिन–जिन कागजातो पर मुझसे निशान लिया गया था उसमें क्या लिखा हुआ था, मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। कटघरे में उपस्थित अभियुक्तों से मेरे पुत्र या मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहा है। कटघरे में उपस्थित अभियुक्तों ने मेरे परिवार के साथ कभी कोई घटना नहीं किया है। निशान के बाद पुलिस ने कभी मेरा बयान नहीं दी थी। अभियुक्तगण गॉव का है इसलिए पहचानता हूँ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामजी कुमार है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक पप्पू कुमार का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दिनांक 07.08.2024 को मेरे समक्ष सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में तैयार हुआ था जिसकी कार्बन प्रति मेरे समक्ष उपलब्ध है। कार्बन प्रति पर मेरा ही हस्ताक्षर है और यह कार्बन प्रति मूल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का है जिसे पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श पी–1/पी0डब्ल्यू6 अंकित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीपक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि जिस कागज पर मैंने अपना हस्ताक्षर किया था, उसमें लिखी गयी बातों की मुझे जानकारी नहीं है। हस्ताक्षर करने के समय मेरे ग्रामीण मृतक पप्पू कुमार का मृत शरीर मेरे समक्ष में नहीं था।

17. अभियोजन साक्षी संख्या 7 विष्णुदेव कुमार है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 07/08/2024 को मैं सुप्पी थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को भिखारी महतो की ओर से एक लिखित आवेदन मुझे प्राप्त कराया गया था। लिखित आवेदन के आधार पर सुप्पी थाना काण्ड संख्या 134/2024 दर्ज हुआ। यही वह लिखित आवेदन है जिस पर पृष्ठांकन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श **P-2/PW7** अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन के आधार पर टंकित औपचारिक प्राथमिकी संख्या 134/2024 तैयार हुआ था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श **P-3/PW7** अंकित किया जाता है। इस वाद के अनुसंधान का भार स्वंय ग्रहण किया। अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात् सूचक भिखारी महतो का पुर्नबयान दर्ज किया। उसके बाद घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। इस काण्ड का घटनास्थल सुप्पी थाना अन्तर्गत ग्राम पकड़ी पी0सी0सी0 सड़क सटे पश्चिम सिसम के पेड़ के पास अवस्थित है जो सरेह है। घटनास्थल का चौहद्दी पूरब–पी0सी0सी0 सड़क, पश्चिम–पी0सी0सी0 सड़क, उत्तर–पी0सी0सी0 सड़क के सटे सिसम का पेड़ उसके बाद शंकर पटेल के धान का खेत है, दक्षिण–कपिलदेव साह का धान वाला खेत है। घटनास्थल का नजरी नक्सा तैयार किया था। घटनास्थल के दक्षिण में सफी स्थान है जो नजरी नक्सा में दर्शाया है। उसके बाद साक्षी राजीव महतो, प्रमिला देवी का बयान दर्ज किया। दिनांक 08/08/2024 को बागमति बांध के पास भागते हुए दो लड़के को पकड़ा। उस समय मोर्निंग वाक में टहल रहे थे जिसमें से साक्षी हरेन्द्र सिंह, अशोक कुमार के समक्ष पकड़े गये दोनों व्यक्ति का नाम, पता पूछा तो दोनों ने क्रमशः अपना नाम नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार पिता–महेश राय, सुशील कुमार पिता–रमेश राय, ग्राम–पकड़ी परसा, वार्ड नं0–4, थाना–सुप्पी बताया तथा घटना के सम्बंध में पूछताछ करने पर दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया। दोनों ने गिरफ्तारी–प्रपत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया। गिरफ्तारी की सूचना उसके माता–पिता को दिया। अभियुक्त नीतेश कुमार ने अपना स्वीकारोक्ति बयान में बताया था

कि दिनांक 06/08/2024 को अपने चचेरे भाई सुशील कुमार को साथ लेकर पप्पू कुमार को उसके अपने घर से लेकर पूर्व के लड़ाई–झगड़ा को लेकर अपने दोस्तों के साथ इन्डो–नेपाल सड़क पर बाईक से पहुंचा, बातचीत होने के पश्चात् उसको उसे अपने घर पहुंचाने हेतु बीच मोटरसाईकिल में बैठा लिया और रास्ते में बातों बात में पप्पू कुमार मेरी बहन के बारे में अश्लील बात बोले जिसमें गुस्सा होकर मैं चाकू से पप्पू कुमार को मारने लगा जिससे चाकू उसके छाती, कंध एवं अन्य भाग पर लगा, वह गाड़ी से गिर गया तब हमलोग तड़पा छोड़ भाग गया। यही वह स्वीकारोक्ति बयान है जिस पर सुशील कुमार और विपेश कुमार ने हस्ताक्षर किया था और मैंने भी अपना हस्ताक्षर किया था, पूरे स्वीकारोक्ति बयान को प्रदर्श **P-4/PW7(with objection)** अंकित किया जाता है। यही वह अभियुक्त सुशील कुमार और नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र है जो प्रिन्टेड प्रपत्र में मेरे द्वारा लिखा गया है। गिरफ्तारी प्रपत्र पर अलग–अलग दोनों का फोटो लगा हुआ है जिसे पहचानता हूँ। अभियुक्त सुशील कुमार के गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श **P-5/PW7** अंकित किया जाता है। अभियुक्त नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार के गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श **P-6/PW7** अंकित किया जाता है। रेणु देवी, पु0अ0नि0 सीतामढ़ी थाना के लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। दिनांक 07/08/2024 को मृतक पप्पू कुमार का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पु0अ0नि0 रेणु देवी, सीतामढ़ी थाना के द्व ारा सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में कार्बन विधि से तैयार किया गया था। यही वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन प्रति है जिसे पहचानता हूँ, पूरे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श **P-7/PW7** अंकित किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्र साक्षी जयमंगल बैठा, लाल बाबू राय का बयान दर्ज किया। ईलाज के क्रम में पप्पू कुमार की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदर अस्पताल, सीतामढ़ी से प्राप्त किया। उसके बाद वरीय पदाधिकारी का पर्वेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। दिनांक 31/08/2024 को अभियुक्त नीतेश कुमार उर्फ विपेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार एवं सुशील कुमार के विरूद्ध धारा– 103/3(5) के अन्तर्गत आरोप–पत्र संख्या 171/2024 समर्पित किया। अभियुक्त नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार एवं सुशील कुमार को पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीपक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि सुप्पी थाना काण्ड संख्या 134/2024 का प्रभार स्वंय ग्रहण किया था। प्राथमिकी का आधार जो आवेदन है, वह आवेदन सुप्पी थाना पर आकर दिया गया था। दिनांक 07/08/2024 को समय 20:15 बजे आवेदन दिया गया था। वादी भिखारी महतो द्वारा आवेदन दिया गया था। भिखारी महतो के अलावा दो और व्यक्तियों का निशान था। पूर्व से आवेदन लिखकर लाये थे। आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदन किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। घटनास्थल किस व्यक्ति द्वारा मुझे दिखाया गया इस बात का उल्लेख मैंने काण्ड दैनिकी में अंकित नहीं किया हूँ। घटनास्थल पर घसीटने या धान का फसल रौदाने या सड़क पर ही कोई एस्पेसिफिक चिन्ह खून इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं किया हूँ। बांध उतरते समय दो लड़के को कब्जा में लिया गया उससे किसी प्रकार कोई अस्त्र, शस्त्र या घटना में पर्युक्त कोई सामान बरामद नहीं किया गया। स्वीकारोक्ति बयान पर मैंने यह अंकित नहीं किया हूँ कि किसके द्वारा टंकित किया गया, यह उल्लेख नहीं किया हूँ। साक्षी स्वतः कहते है कि मैंने दोष स्वीकारोक्ति बयान के नीचे अपना हस्ताक्षर किया हूँ। मैंने जो Confessional statement विपेश कुमार का लिया हूँ, उस पर तीन हस्ताक्षर विपेश कुमार का है और तीन हस्ताक्षर सुशील कुमार का है जिसके नीचे कोई तिथि अंकित नहीं है। अनुसंधान के क्रम में मैंने मोटरसाईकिल का सत्यापन नहीं किया। गिरफ्तारी प्रपत्र के मुख्य पृष्ठ पर मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं है। सीतामढ़ी पुलिस बल में पदस्थापना के क्रम में कितने महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ काम किया हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है। किसी भी महिला पुलिस पदाधिकारी से विभागीय पत्राचार करने का मौका नहीं मिला है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट किस तिथि को मुझे प्राप्त हुआ उसका उल्लेख काण्ड दैनिकी में नहीं किया हूँ। गिरफ्तारी के

बाद अभियुक्तों का सफाई बयान दर्ज किया हूँ। मैंने सफाई साक्ष्य के रूप में कोई बयान अंकित नहीं किया हूँ बल्कि उस सफाई बयान के कण्डिका में मैंने यह अंकित किया हूँ कि अपने द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन किये। अनुसंधान के क्रम में मैंने जांच नहीं किया हूँ कि पूर्व में बहन को लेकर क्या मुदा हुई थी। स्वतंत्र साक्षी जयमंगल बैठा एवं लालबाबू राय द्वारा यह बताया गया था कि ग्रामीणों के बहकावे में आकर शव को अभियुक्तगण के दरवाजे पर रखा गया था। दरवाजे पर शव रखने का कोई चिन्ह नहीं पाया था। अभियुक्त के पहने हुए वस्त्र को मैंने जांच के लिए कोई जब्त नहीं किया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने हत्या से सम्बंधित वाद का जांच वैज्ञानिक पद्धती या सुक्ष्मता से नहीं किया और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार बिना तथ्यों की जांच किये हुए आरोप–पत्र समर्पित किया हूँ।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 8 डॉ॰ अमरनाथ यादव है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि On 07.08.2024, I was posted at Sadar Hospital, Sitamarhi as a Medical Offficer. On that day I examine dead body of Pappu Kumar, aged about 17 years, S/o. Bhikhari Mahto, R/o. Village-Pakari Kothi, P.S.-Suppi, District-Sitamarhi at 01:15 PM and found the following antermortem findings on his body:-

External Finidings:-

Both eyes closed and mouth partially opened. Two incised wound on right side of chest size 1inch x 1/2inch x cavity deep and incised wound on right side of waist size 1inch x 1/2 inch muscle deep.

Internal Findings:-

Opening of skull-cranium intact and brain matter pale. Opening of neck-NAD, Opening of thorax-right side thoracic cavity filled with blood and blood clot, Light lungs punture, Left lung intact and pale, Heart-intact, chambers-empty. Opening of abdominal cavity-all abdominal viscera intact and pale. Stomach contains gaestric juice only, Urinary bladder partially filled.

Time elapse since death and PM held within 24 hours.

In my opinion-The cause of death was due to hemorrhage and shock leading to CR failure as a result of above noted chest injury caused by sharp instrument.

This PM report was prepared and signed by me which I identify and the same is marked as exhibit P-8/PW8.

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीपक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि नूकिले छड़ या ग्रिल पर गिरने से ऐसा जख्म हो सकता है। Viscera भिसरा का रिपोर्ट मेरे समक्ष नहीं आया था। शव के साथ भेजे गए परिधान एवं वस्तुए विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया हूँ।

मंतव्य

19. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल आठ अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 लालबाबू राय, अभियोजन

साक्षी संख्या 2 राजीव महतो, अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 4 जय मंगल बैठा है जो पक्ष–द्रोही साक्षी है, इस साक्षी ने अभियुक्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 भिखारी महतो है जो इस वाद का सूचक है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जिस समय मेरा पुत्र खाना खा रहा था, उस समय मैं भी खाना खा रहा था। किस दोस्त ने आवाज दिया उसका नाम नहीं कह सकता। किसके साथ मेरा पुत्र गया था उसका नाम नहीं कह सकता। मेरा लड़का बेहोशी के हालत में था। वहां ग्रामीणों की भीड़ थी। मैं अपने लड़का को ईलाज के लिए ससौला ले गया। ससौला से डॉक्टर रेफर कर दिया। मुजफ्फरपुर ले जाने के कम में मेरा लड़का पप्पू कुमार की मृत्यु रास्ते में हो गई। घायल अवस्था में ले जाने के कम में मेरा लड़का पप्पू कुमार का होश नहीं आया। वहां पर ग्रामीणों की भीड़ द्वारा घटना कारित करने वालों का नाम नहीं बताया गया। घटना कारित होते हुए मैं, मेरी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों ने नहीं देखा था। जिन–जिन कागजातो पर मुझसे निशान लिया गया था उसमें क्या लिखा हुआ था, मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या 6 रामजी कुमार है जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह है, इस साक्षी ने भी अभियुक्तों के बारे में कुछ नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी संख्या 7 विष्णुदेव कुमार है एवं अभियोजन साक्षी संख्या 8 डॉ0 अमरनाथ यादव है। अभियुक्तगण **1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार** एवं **2. सुशील कुमार** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–103(1), 3(5), बी0एन0एस0 के आरोपों को साबित करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने पर यह विदित है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

20. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार** एवं **2. सुशील कुमार** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 103(1), 3(5), बी0एन0एस0 को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

21. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्तगण **1. नीतेश कुमार उर्फ रूपेश कुमार उर्फ विपेश कुमार** एवं **2. सुशील कुमार** को आरोप अंतर्गत धारा– 103(1), 3(5), बी0एन0एस0 से **निर्दोष** पाते हुए उन्हें इन सभी आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण कारा अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण को कारा अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हो। कार्यालय लिपिक अविलम्ब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत एवं ।।प्र०क्र

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी।
दिनांक–24.03.2026

(राजीव कुमार–III)
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह–
विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी।
दिनांक–24.03.2026